201

संख्या 1538 / उन्तीस(2) / 11–2(30पे0) / 2011

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यॉकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 15 नवम्बर, 2011

विषय :– **मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में राज्य के पेयजल विहीन 866 विद्यालयों को पेयजल से संतृप्त किये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5728 / अप्रै0–03 / विद्यालय (धन की मांग) / 2011–12 दिनांक 21.10.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 631 / 2004 दिनांक 29.04.2011 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में राज्य के पेयजल विहीन 866 विद्यालयों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित आंगणनों के सापेक्ष पूर्व में जारी 40 प्रतिशत धनराशि अवमुक्ति के शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में निम्न विवरणानुसार शेष 60 प्रतिशत धनराशि ₹ 667.97 लाख (₹ छः करोड़ सडसठ लाख सतानबे हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	पूर्व स्वीकृत धनराशि के शासनादेश का विवरण	विद्यालयों की संख्या	अनुमोदित धनराशि	पूर्व स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
01	02	03	04	05	06
01	848 / उन्तीस(2) / 11–2(30पे0) / 11 दिनांक 11.08.11	163	129.05	51.62	77.43
02	856 / उन्तीस(2) / 11–2(30पे0) / 11 टी0सी0–1 दि0 11.08.11	418	551.67	220.67	331.00
03	1153 / उन्तीस(2) / 11–2(30पे0) / 11 टी0सी0– II दि0 11.08.11	183	287.57	115.03	172.54
04	1154 / उन्तीस(2) / 11–2(30पे0) / 11 टी0सी0–IV दि0 11.08.11	102	145.00	58.00	87.00
	योग :–	**866**	**1113.29**	**445.32**	**667.97**

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण — मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

.....2

3. शासनादेश की अन्य शर्ते एवं विद्यालयों का विवरण पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही रहेगा। समयान्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों को पेयजल से पूर्ण रूप से संतृप्त करते हुए शासन एवं निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को भी आवश्यक रूप से अवगत कराया जाय। कार्य अनुमोदित आंगणन के सापेक्ष ही किया जाना होगा। अर्थात आंगणन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–आयोजनागत –102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–ग्रामीण पेयजल सेक्टर–00–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

5 यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 657/XXVII (2)/11 दिनांक 11 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी),
अपर सचिव

पृ0सं0 1538 (1)/उन्तीस (2)/11–2(30पे0)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ।
8. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली),
उप सचिव